प्रेस नोट
दिनांक 17.08.2026

थाना परसपुर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा चोरी/नकबजनी की कई घटनाओं का सफल अनावरण, 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सोने–चांदी के आभूषण, 40,800/– रू0 नकद व 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद–

कार्यवाही:–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना परसपुर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की कई घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों– 01. शनि पुत्र रमाशंकर निषाद निवासी राम नेवाज पुरवा मौजा मरचौर, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा, 02. विरेन्द्र कश्यप पुत्र दिनेश कुमार कश्यप निवासी पिकौरा, थाना छपिया, जनपद गोण्डा को चरहॅुवा बाईपास पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने–चांदी के आभूषण, 40,800/– रू0 नकद व 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:–

जनपद गोण्डा में विगत कुछ दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी/नकबजनी की घटनाएं प्रकाश में आयी थीं, उक्त घटनाओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटनाओं के शीघ्र एवं सफल अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था तथा प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस को भी आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। गठित टीमों द्वारा क्षेत्र में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी की गई तथा खुफिया सूचनाओं का प्रभावी संकलन किया गया। पुलिस टीमों की सक्रिय कार्यवाही के फलस्वरूप चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों– 01. शनि पुत्र रमाशंकर निषाद निवासी राम नेवाज पुरवा मौजा मरचौर, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा, 02. विरेन्द्र कश्यप पुत्र दिनेश कुमार कश्यप निवासी पिकौरा, थाना छपिया, जनपद गोण्डा को चरहुँवा बाईपास पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने–चांदी के आभूषण, 40,800/– रू0 नकद व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण:–

गिरफ्तार अभियुक्तगण शनि पुत्र रमाशंकर निषाद एवं विरेन्द्र कश्यप पुत्र दिनेश कुमार कश्यप से नियमानुसार पूछताछ की गई। पूछताछ में अभियुक्त शनि ने बताया कि वह अपने साथी वीरेन्द्र कश्यप, तिलकराम उर्फ झिनकू चौहान, श्यामसुन्दर उर्फ गब्बर, रवि शर्मा एवं योगेश चौहान के साथ मिलकर कभी एक साथ तथा कभी अलग–अलग चोरी एवं नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अभियुक्तगण पहले चोरी की घटनाओं के लिए स्थान की रेकी करते थे तथा मौका देखकर जेवरात की दुकानों एवं घरों को निशाना बनाकर चोरी करते थे। चोरी से प्राप्त जेवरात को राहगीरों को अपनी मजबूरी बताकर बेच देते थे तथा प्राप्त नगदी एवं चोरी के माल को आपस में बांट लेते थे। पूछताछ में अभियुक्त शनि द्वारा थाना परसपुर क्षेत्र के ग्राम नरायनपुर साल, नरायनपुर ललक एवं हरदिहा सोपौर में हुई चोरी की घटनाओं में अपने साथी वीरेन्द्र कश्यप एवं योगेश चौहान के साथ शामिल होना बताया गया। वहीं पसका मंदिर दक्षिण तट में हुई चोरी की घटना को अपने द्वारा अकेले कारित करना बताया। थाना छपिया क्षेत्र के ग्राम तालागंज में हुई चोरी की घटना को शनि द्वारा अपने साथी वीरेन्द्र कश्यप एवं तिलकराम उर्फ झिनकू चौहान के साथ तथा ग्राम उल्लहा में हुई चोरी की घटना को अपने साथी वीरेन्द्र कश्यप, तिलकराम उर्फ

झिनकू चौहान, रवि शर्मा एवं श्यामसुन्दर उर्फ गब्बर के साथ मिलकर कारित करना बताया। इसी क्रम में अभियुक्त विरेन्द्र कश्यप ने पूछताछ में बताया कि थाना खोड़ारे क्षेत्र के ग्राम औसानी बुजुर्ग में हुई चोरी की घटना को उसने अपने साथी तिलकराम उर्फ झिनकू चौहान के साथ मिलकर तथा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के वेलवा नोहर चौराहा स्थित जेवरात की दुकान में हुई चोरी की घटना को शनि, तिलकराम उर्फ झिनकू चौहान एवं श्यामसुन्दर उर्फ गब्बर के साथ मिलकर कारित किया था। अभियुक्तगण से बरामद ₹40,800/- नगद एवं विभिन्न प्रकार के चोरी के जेवरात के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त बरामद माल को उपरोक्त चोरी की विभिन्न घटनाओं से संबंधित अपना-अपना हिस्सा बताया गया। अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त एफ0जेड0 मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि उक्त मोटरसाइकिल वे मांगकर लाए थे तथा चोरी की घटनाओं के दौरान इसी मोटरसाइकिल से आवागमन करते थे। पूछताछ एवं बरामदगी के आधार पर थाना परसपुर के 04 अभियोगों सहित थाना कोतवाली देहात, छपिया एवं खोड़ारे के 04 अभियोगों, कुल 08 चोरी/नकबजनी की घटनाओं का अनावरण हुआ है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा प्रकाश में आए अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

01. शनि पुत्र रमाशंकर निषाद निवासी राम नेवाज पुरवा मौजा मरचौर, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
02. विरेन्द्र कश्यप पुत्र दिनेश कुमार कश्यप निवासी पिकौरा, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0 349/2026 धारा 331(4), 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 365/2026 धारा 331(4), 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 379/2026 धारा 331(4), 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0 360/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0 775/2026, धारा 305/331(4) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0 220/2026, धारा 309(6)/351(3) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0 267/2026, धारा 331(4)/305(।) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0 207/2026, धारा 305(।)/331(4) बीएनएस थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी-</u>

01. ₹40,800/- रूपये नकद।
02. सफेद धातु का 02 सिक्का।
03. सफेद धातु की कुल 06 जोड़ी बिछिया/बिछुआ।
04. 04 जोड़ी पायल सफेद धातु।
05. 01 जोड़ी झाला पीली धातु।
06. 02 अदद अंगूठी पीली धातु।
07. 01 अदद नथुनी पीली धातु।
08. 01 जोड़ी झुमकी पीली धातु।
09. काले रंग के मोतियों में गुथी 01 मटर माला मय पीली धातु का लॉकेट
10. 01 अदद एफ0जेड0 मोटरसाईकिल।

<u>अभियुक्त शनि का आपराधिक इतिहास-</u>

01. मु0अ0सं0-246/25 धारा 305,331(4),324(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-247/25 धारा 305,331(4),324(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-251/25 धारा 313 बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0सं0—187 / 25 धारा 305,324(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0—149 / 25 धारा 305,331(4),324(2) बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0—133 / 25 धारा 305,331(4),324(2) बीएनएस थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0—312 / 25 धारा 305ए,331(4),324(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0—314 / 25 धारा 305ए,331(4),324(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
09. मु0अ0सं0—486 / 2025 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
10. मु0अ0सं0—349 / 2026 धारा 331(4),305(ए),317(2) बीएनएस, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
11. मु0अ0सं0—365 / 2026 धारा 331(4),305(ए),317(2) बीएनएस, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
12. मु0अ0सं0—379 / 2026 धारा 331(4),305(ए),317(2) बीएनएस, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
13. मु0अ0सं0—360 / 2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
14. मु0अ0सं0—775 / 2026 धारा 305,331(4),317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
15. मु0अ0सं0—207 / 2026 धारा 305(ए),331(4),317(2) बीएनएस थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
16. मु0अ0सं0—220 / 2026 धारा 309(6),351(3),317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।
17. मु0अ0सं0—267 / 2026 धारा 305(ए),331(4),317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

<u>अभियुक्त विरेन्द्र कश्यप का आपराधिक इतिहास—</u>

01. मु0अ0सं0 349 / 2026 धारा 331(4),305(।),317(2) बीएनएस, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 365 / 2026 धारा 331(4),305(।),317(2) बीएनएस, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 379 / 2026 धारा 331(4),305(।),317(2) बीएनएस, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0 360 / 2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0—775 / 2026 धारा 305,331(4),317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं—207 / 2026 धारा 305(ए),331(4),317(2) बीएनएस थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं—220 / 2026 धारा 309(6),351(3),317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0—267 / 2026 धारा 305(ए),331(4),317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम—</u>

01. श्री आशुतोष सिंह प्रभारी एस0ओ0जी0 मय टीम।
02. श्री कमल शंकर चतुर्वेदी थानाध्यक्ष परसपुर
03. श्री मनीष कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम।
04. उ0नि0 आकाशदीप।
05. उ0नि0 अंकित सिंह
06. उ0नि0 अमन कन्नौजिया
07. उ0नि0 उपेन्द्र कुमार सिंह
08. का0 प्रदीप कुमार सिंह
09. का0 सुभाष चन्द
10. का0 राहुल पटेल

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>